



दिनांक 06.04.2024

प्रेस विज्ञप्ति 06/2024

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर

- 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध पिस्टल बरामद

दिनांक: 06.04.2024 को थाना हापुड़ नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सबली अण्डर पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध पिस्टल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—इमरान निवासी सामिया गार्डन सिटी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

### बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल।

## जनपद मीरजापुर/थाना डूमण्डगंज

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 04 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी के सोने—चौंदी के आभूषण

- 12 हजार रुपये नगद

- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 05.04.2024 को थाना डूमण्डगंज व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—राजकुमार 2—वीरेन्द्र कुमार को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण, 12 हजार रुपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना ड्रमण्डगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ड्रमण्डगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ड्रमण्डगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1-राजकुमार निवासी स्टेशन रोड पुरानी दशमी वार्ड नं0-17 रोडवेज के पीछे थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

2-वीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम झिगुरा थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

### बरामदगी

1-लगभग 04 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण।

2-12 हजार रुपये नगद।

3-01 मोटर साइकिल।

### जनपद मथुरा/थाना राया

- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी की कार

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 06.04.2024 को थाना राया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ककरेटिया नहर पिलखुनी पुल राया की ओर चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायारिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रेमपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की कार

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना राया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रेमपाल निवासी दामोदरपुरा थाना सदर बाजार जनपद मथुरा।

### बरामदगी

1—चोरी की कार।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

### जनपद बांदा/थाना अतर्रा

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
  - 18 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
    - 05 अवैध शस्त्र नाल
    - 06 जीवित, 10 खोखा कारतूस
  - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक: 05.04.2024 को थाना अतर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोखिया गाँव के पास बड़ी नहर के किनारे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त 1—संजय 2—विजय बहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 18 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 05 अवैध शस्त्र नाल, 06 जीवित, 10 खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त संजय के विरुद्ध जनपद बांदा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-संजय निवासी तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
- 2-विजय बहादुर निवासी तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

### बरामदगी

- 1-18 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2-05 अवैध शस्त्र नाल।
- 3-06 जीवित, 10 खोखा कारतूस।
- 4-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

### जनपद गाजीपुर/थाना जमानिया

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 02 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 140 ग्राम अवैध हेरोइन
- 01 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक: 06.04.2024 को थाना जमानिया व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गायघाट मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1-दीपक 2-ओमकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 140 ग्राम अवैध हेरोइन, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना जमानिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-दीपक निवासी शेरपुर फुल्ली थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर।
- 2-ओमकार निवासी बेटावर थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।

## बरामदगी

- 1-लगभग 02 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 140 ग्राम अवैध हेरोइन।
- 2-01 दो पहिया वाहन।

### जनपद सीतापुर/थाना तालगांव

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार
  - 11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
    - 06 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र बॉडी
    - 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर
  - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक: 06.04.2024 को थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लशकरपुर नहर पुल के पास जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त टिकारी उर्फ अखिलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 06 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र बॉडी, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तालगांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-टिकारी उर्फ अखिलेश निवासी पखनियापुर थाना तालगांव जनपद सीतापुर।

## बरामदगी

- 1-11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2-06 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र बॉडी।

3-02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

### जनपद शाहजहाँपुर/थाना पुवार्यो

#### • 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 07 लाख 50 हजार रुपये कीमत के 02 किलो 450 ग्राम अवैध अफीम

#### • 02 मोबाइल फोन

#### • 1170/-रुपये नगद

#### • 01 वैगनार कार आदि बरामद

दिनांक: 05/06.04.2024 को थाना पुवार्यो व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुजुर्ग चौराहा से 02 अभियुक्तों 1-ललित कुमार 2-तजविन्दर सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 50 हजार रुपये कीमत के 02 किलो 450 ग्राम अवैध अफीम, 02 मोबाइल फोन, 1170/-रुपये नगद, 01 वैगनार कार आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना पुवार्यो पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1-ललित कुमार निवासी रानीखेड़ा थाना मोहनलाल गंज जनपद लखनऊ।

2-तजविन्दर सिंह निवासी दाराबोझी बनवीरपुर थाना तिकुनिया जनपद खीरी।

### बरामदगी

1-लगभग 07 लाख 50 हजार रुपये कीमत के 02 किलो 450 ग्राम अवैध अफीम।

2-02 मोबाइल फोन।

3-1170/-रुपये नगद।

4-01 वैगनार कार आदि।

- जनपद एटा/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 91 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/506 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रज्जाक को आजीवन कारावास व 91 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 31 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/149 भादवि के अन्तर्गत 05 अभियुक्तों 1-रामबाबू 2-रामडाक्टर 3-बालेन्द्र 4-02 अभियुक्ता को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद मथुरा/थाना मांट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 10 वर्ष व 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना मांट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त जगमोहन को 10 वर्ष व अभियुक्त सीताराम को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

## एसटीएफ: जनपद प्रयागराज में पेशी के दौरान न्यायिक अभिरक्षा से 08

### वर्षों से फरार 50,000/-रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06-04-2024 को एसटीएफ, उप्र को प्रयागराज में पेशी के दौरान न्यायिक अभिरक्षा से 08 वर्षों से फरार 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व० जगदीष कुमार सिंह निवासी ग्राम दामोदर का पुरा, थाना मऊआइमा, प्रयागराज।

#### कुल बरामदगी:-

- 1- 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर।
- 2- 02 अदद जिन्दा कारतूस।
- 3- 01 अदद मोबाइल फोन।
- 4- रू० 270/- नगद।

#### गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक:-

आरओबी मऊआइमा के नीचे, जनपद प्रयागराज दिनांक 06-04-2024 समय 16.45 बजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के निर्देशन में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष-2016 में नैनी जेल में निरुद्ध बन्दी मा० न्यायालय में पेशी के लिए जा रहे थे। रास्ते मौका देखकर पुलिस वैन का गेट खोलकर 12 बन्दी फरार हो गये, जिस सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज में मु०अ०सं०



84/2016 धारा 223/224 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त संतोष कुमार सिंह काफी समय से फरार चल रहा है। इसके गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक श्री दीपक सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह मु0आ0 समशेर सिंह, भूपेन्द्र सिंह, सुनील कुमार राय की टीम जनपद प्रयागराज में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि पेशी के दौरान फरार बन्दी संतोष कुमार सिंह आरओबी मऊआइमा के पास अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलने आने वाला है, यदि शीघ्रता किया जाय पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुँच कर वांछित अभियुक्त संतोष सिंह को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष-2014 में चोरी की घटना किया था, उसी घटना में नैनी जेल में बन्द था। जनवरी 2016 में पुलिस वैन द्वारा मा0 न्यायालय में पेशी हेतु जा रहा था। रास्ते में काफी जाम लगा था। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मी जाम छुड़ाने में लग गये। इस दौरान मौका देखकर पुलिस वैन का गेट खोलकर 12 कैदी फरार हो गये थे। उन्ही 12 कैदियों में संतोष सिंह भी फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊआइमा प्रयागराज में मु0अ0सं0 103/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

-----